

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला, भिण्ड मध्यप्रदेश

॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्र० 06ए/2014

संस्था०दिनांक 14.07.2010

फाईलिंग नंबर-230303000132010

इन्द्रपालसिंह आयु 45 साल पुत्र सरनाम
सिंह जाति तोमर ठाकुर निवासी ग्राम
खनैता परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती विनीता बेवा पत्नी सुदामासिंह
आयु 28 साल जाति तोमर ठाकुर निवासी
ग्राम खनैता हाल निवासी भटपुरा तहसील
लहार जिला भिण्ड म०प्र०
2. श्रीमती मंजू तोमर पत्नी रविन्द्रसिंह तोमर
आयु 45 साल निवासी ग्राम खनैता परगना
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०असल प्रतिवादीगण
3. म०प्र० शासन द्वारा :-
श्रीमान कलैक्टर महोदय,
जिला भिण्ड म०प्र०तरतीवी प्रतिवादी
4. संजय पुत्र सोवरन जाति तोमर निवासी ग्राम
खनैता तहसील गोहद
5. श्रीमती सुमनदेवी पत्नी इन्द्रसिंह जाति तोमर
निवासी ग्राम खनैता परगना गोहदप्रतिवादीगण

वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अग्र क्रयाधिकार हेतु ।

वादी द्वारा श्री अवध विहारी पाराशर अधि० ।
प्रतिवादी क्र.-1 व 2 द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्र.- 3, 4 एवं 5 एक पक्षीय ।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 09.03.16 को घोषित किया गया)

1. वादी की ओर से यह वाद मूलतः कृषि भूमि एवं भवन के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अग्र क्रयाधिकार की आज्ञाप्ति चाहने बाबत प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का पति

स्व० सुदामा सगे भाई थे और स्व० सुदामा की मृत्यु पश्चात प्रथम श्रेणी की वारिस प्रतिवादी क्रमांक-1 है जिसका स्व० सुदामा के स्थान पर वादी की सहमति से नामांतरण हुआ था। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादी स्व० सुदामा एवं उनके रिश्तेदार बलवीर सिंह ने छः विस्वा भूमि जिसका पूर्व क्रमांक-1365 था, नवीन नंबर-594 है, उसे शामिलाली रूप से खरीदा था। बलवीर के तीन विस्वा भूमि के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवादित है कि डेढ़ विस्वा भूमि में विवादित मकान आंगन सहित निर्मित है जिसे प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को प्र०पी०-3 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया गया है। यह भी निर्विवादित है कि कृषि भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 विनीता द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-4 सुमन, प्रतिवादी क्रमांक-5 संजय को भी प्र०पी०-4 व 5 के वयनामों के द्वारा भूमि विक्रय की गई है तथा यह भी निर्विवादित है कि विवादित मकान में दो कमरे, बैठक, तिवारा, रसोई, लैट्रिन बाथरूम, जीना और आंगन निर्मित हैं।

3. वादी का वाद स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद पत्र की कण्डिका-1 में वर्णित कृषि भूमि जिनके सर्वे क्रमांक-163, 234, 179, 180, 1442, 1680, 1661, 1667, 2295, 2260, 2763, 2770, 2771, 2304, 3320, एवं 3321 कुल किता 16 कुल रकवा 6.22 है० स्थित ग्राम खनैता में से हिस्सा 143/622 अर्थात् सात बीघा तीन विस्वा उसके पिता सरनाम सिंह के स्वामित्व व आधिपत्य का था जिनकी मृत्यु के पश्चात वारिसान में वह एवं सुदामा थे और उनका नामांतरण हुआ था जिस पर उनदोनों का बराबर बराबर 1/2-1/2 भाग का नामांतरण स्वीकार हुआ था जिसमें से सुदामा के 1/2 हिस्से का विवाद है जिस पर सुदामा की मृत्यु के पश्चात उसके स्थान पर उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 विनीता का नामांतरण हुआ था। इस तरह से कृषि भूमि रकवा 0.71 है० अर्थात् तीन बीघा ग्यारह विस्वा प्रकरण में विवादित है और वाद पत्र की कण्डिका-2 में वर्णित विवादित मकानियत जो कि वर्तमान सर्वे क्रमांक-594 के डेढ़ विस्वा में निर्मित है। जो भूमि वादी एवं स्व० सुदामा ने पैतृक संपत्ति कृषि भूमि की आय से क्रय किया था और उस पर सम्मिलित रूप से नामांतरण हुआ था तथा उन्होंने क्रयशुदा अपने हिस्से की तीन विस्वा भूमि में से डेढ़ विस्वा भूमि पर भवन निर्मित कराया था। शेष डेढ़ विस्वा खुली जगह उत्तर दिशा की ओर गांव की सड़क की तरफ लगी हुई है जिसका वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। तीन विस्वा में बलवीर का मकान भवन निर्मित है।

4. यह भी अभिवचन किया गया है कि उसका एवं स्व० सुदामा का संयुक्त हिन्दू

परिवार था। और वह मिताक्षरा विधि से शासित हैं। तथा विवादित संपत्ति उनकी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है जिस पर उसका शामिलता स्वत्व व आधिपत्य चला आ रहा है। शामिलता खेती होती है। स्व० सुदामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 गांव में नहीं रह रही है तथा अपने मायके में रहती है और संपूर्ण कृषि भूमि पर उसका ही कब्जा व कास्त है तथा शामिलता रूप से निर्मित भवन पर भी वही काबिज होकर बर्ताव करता है। जिसे भी नजरी नक्शा में अ, ब, स, द से दर्शाया है। और खुली भूमि को द, स, इ, फ से दर्शाया है। स्व० सुदामा की कोई संतान नहीं थी इसलिये वह अपनी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 के साथ उत्तर दिशा की ओर बने भाग और उसके आगे की खुली भूमि में निस्तार करता था जिसमें सुदामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 ताला डालकर अपने मायके चली गई थी। जो दक्षिण दिशा में दो कमरे, तिवारा, रसोई, जीना, बाथरूम इत्यादि निर्मित है। उस पर उसका कब्जा व बर्ताव था। जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई कब्जा बर्ताव न पूर्व में रहा न वर्तमान में है। और प्रतिवादी क्रमांक-1 विनीता का शामिलता पैतृक संपत्ति होने से किसी विशेष भाग को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। जिसने प्रतिवादी क्रमांक-2 मंजू को दिनांक 08.06.10 को गलत तरीके से वयनामा कर दिया था और मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत वयनामा में मकान को विक्रय किया गया है। जबकि सुदामा का विवादित मकान पर कोई स्वत्व आधिपत्य ही नहीं था। इसलिये प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को किया गया विक्रय पत्र उसके मुकाबले व्यर्थ एवं शून्य है और अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-2 को कोई नामांतरण कराने का अधिकार नहीं था। जिसका उसके द्वारा प्रयास किये जान पर उसने आपत्ति भी पेश की है। विक्रय पत्र के तहत प्रतिवादी क्रमांक-2 मंजू को कोई कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि विनीता को अधिकार प्राप्त नहीं था न कब्जा था और वगैर बटवारा कराये किसी भी भाग पर कब्जा करने का प्रतिवादी क्रमांक-2 को अधिकार नहीं है। जिसने विक्रय पत्र की आड़ में वाद लंबन काल में दिनांक 28.03.11 को अवैध रूप से विवादित मकान और उससे लगी भूमि पर कब्जा बलपूर्वक कर लिया है जो वह वापिस पाने का अधिकारी है।

5. यह भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा दिनांक 23.06.10 को प्र०पी०-3 के विक्रय पत्र के आधार पर उसका सामान फैंककर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई थी जिसकी रिपोर्ट भी की गई थी इसलिये वह बलपूर्वक किया गया कब्जा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 कृषि भूमि और विवादित मकान व उससे लगी

खुली भूमि में से अपना हिस्सा विक्रय करना चाहे तो उसे संयुक्त हिन्दू परिवार की शामिली अविभाजित संपत्ति होने से अग्र क्रय का अधिकार प्राप्त है। तथा वह उचित मूल्य पर क्रय करने को तैयार भी है। और प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 को किया गया विक्रय पत्र गोपनीय तरीके से कराया गया है इसलिये भी वह अवैध है। तथा प्रतिवादी क्र०-4 व 5 को किये गये विक्रय पत्र भी स्वत्व विहीन होकर उसके मुकाबले व्यर्थ एवं प्रभावशून्य हैं। इसके तहत भी क्रेताओं को कोई कब्जा न तो प्राप्त हुआ है न ही प्राप्त करने का अधिकार है। और प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 को किये गये विक्रय पत्र तथा बेदखल करने की धमकी से उत्पन्न वाद कारण के आधार पर स्वत्व घोषणा तथा बेदखल करने की धमकी से उत्पन्न वाद कारण के आधार पर स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा सहित अग्र क्रयाधिकार के तहत आज्ञाप्ति चाहते हुए यह भी सहायता चाही है कि किये गये वयनामा उसके मुकाबले व्यर्थ एवं प्रभावशून्य घोषित किये जावें तथा उसे आधिपत्य वापिस दिलाया जावे और बंटवारा कराया जावे तथा कब्जा एवं कास्त में बाधा कारित करने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रचलित की जावे।

6. प्रकरण में प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से संयुक्त वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी के समस्त अभिवचनों का खण्डन करते हुए मूलतः यह अभिवचन किया है कि विवादित संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति न होकर स्वअर्जित संपत्ति है। यदि पैतृक संपत्ति होती तो सुदामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्र०-1 का नामांतरण नहीं होता और उस पर वादी आपत्ति करता जबकि वादी ने कोई आपत्ति नहीं की। और विवादित कृषि भूमि एवं मकान पर उसका कब्जा व बर्ताव था, वादी का कब्जा बर्ताव नहीं रहा। बल्कि प्रतिवादी क्र०-1 के पति सुदामा के जीवनकाल में ही वादी और वे अलग हो गये थे और उनका रहन सहन खानपान भी अलग अलग था। विवादित मकान स्व० सुदामा ने प्रतिवादी क्र०-1 से विवाह होने के पश्चात स्वयं निर्माण कराया था। उसमें वादी का कोई हक व अधिकार नहीं था तथा कृषि भूमि पर भी वह भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज है तथा उसे अपनी संपत्ति को अंतरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। विवादित मकानियत पर भी उसका स्व० सुदामा के जीवनकाल से ही एकांकी रूप से कब्जा बर्ताव रहा है और उसने भूमिस्वामी आधिपत्यधारी की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक-2 को जो वयनामा किया है तथा प्रतिवादी क्र०-4 एवं 5 को जो भूमि विक्रय की है उसमें वादी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। और वादी प्रतिवादी क्र०-1 के विधवा होने के बाद उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है और इसके लिये उसे परेशान

करने लगा था जिसके कारण वह सहायता हेतु अपने मायके भटपुरा भी चली जाती थी और अपनी सुविधानुसार ग्राम खनैता में निवास करके अपनी संपत्ति की व्यवस्था करती थी। उसने प्रतिवादी क्र०-2 के स-प्रतिफल कब्जे का आदान प्रदान करते हुए विवादित संपत्ति का विक्रय विधिक रीति से किया है तथा नामांतरण को रोकने के संबंध में सिविल वाद नहीं किया जा सकता है इसलिये इसी आधार पर दावा निरस्ती योग्य है। वादी द्वारा समस्त अभिवचन काल्पनिक व झूठे मनगढ़न्त लेखकर झूठा दावा पेश किया गया है इसलिये वादी कोई सहायता पाने का अधिकारी नहीं है अतः उसका वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

7. प्रतिवादी क्र०-3 शासन कृषि भूमि होने से औपचारिक प्रतिवादी होकर एकपक्षीय है। तथा प्र०पी०-4 एवं 5 के विक्रय पत्रों के आधार पर बनाये गये पक्षकार संजय एवं श्रीमती सुमन एकपक्षीय हैं। उनकी ओर से कोई वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
8. प्रकरण में वादी की ओर से कृषि भूमि के संबंध में विवाद के प्रत्याहरण बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का भी निर्णय के साथ ही गुण-दोषों पर निराकरण पूर्व आदेश दिनांक 08.05.14 के अनुसार किया जाना है और वाद प्रश्न क्रमांक-9 कृषि भूमि में विक्रय पत्रों से संबंधित है इसलिये सर्वप्रथम उक्त आवेदन पत्र एवं वाद प्रश्न क्रमांक-9 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
9. प्रकरण में वाद लंबन के दौरान वादी की ओर से प्रतिवादी क्र०-4 एवं 5 को किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था। किन्तु दिनांक 27.03.14 को आदेश 23 नियम 1 सी०पी०सी० के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर कृषि भूमि के संबंध में वाद के प्रत्याहरण एवं प्रतिवादी क्र०-4 व 5 को प्रकरण की कार्यवाही से हटाये जाने की अनुमति चाही गई थी जिसका प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया गया था कि वादी द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है इसलिये पूरा वाद निरस्त किया जावे।
10. प्रकरण में आदेश पत्रिकाओं मुताबिक उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के संबंध में दिनांक 08.05.14 एवं 03.09.14 को किये गये आदेशों के मुताबिक उसके साथ आवेदन पर विचार किया जाना है। वादी की ओर से जिस प्रकृति का वाद प्रस्तुत किया गया था उसीके आक्षेप के संबंध में प्रतिवादी की ओरसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक 26.04.13 को किया गया जाकर यह निर्धारित किया गया था कि वादी ने वाद का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया

है न ही उस पर उचित न्याय शुल्क चस्पा किया है इसलिये वादी को उचित मूल्यांकन कर मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क चस्पा करने के संबंध में आदेशित किया गया था। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही में वादी की ओर से विवादित मकानियत जिसका विवरण वाद पत्र की कण्डिका-2 में किया गया है, उसके संबंध में ही दिनांक 27.06.14 को न्याय शुल्क अदा किया और कृषि भूमि के संबंध में वाद के प्रत्याहरण की कार्यवाही की है। जिसके संबंध में अभिलेख पर कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुई है। वादी प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें कृषि भूमि के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। मूल विवाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवादित मकानियत को लेकर ही पक्षकारों के मध्य है ऐसी स्थिति में वादी के लंबित आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है किन्तु प्रतिवादी क्र०-4 व 5 को पक्षकार बनाने के पूर्व ही वादी को विचार करना चाहिए था कि उसे कृषि भूमि के संबंध में विवाद प्रस्तुत करना है अथवा नहीं। किन्तु पश्चातवर्ती परिस्थितियों में उसने वाद के प्रत्याहरण की प्रार्थना की है और प्रतिवादी क्रमांक-4 व 5 को पक्षकार बनाने के बाद उनकी उपस्थिति के बाद कार्यवाही की है इसलिये वादी प्रतिवादी क्र०-4 व 5 का प्रकरण व्यय वहन करने के उत्तरदायी होगा। इस निर्देश के साथ आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण की कार्यवाही से प्रतिवादी क्र०-4 व 5 को मुक्त किया जाता है और कृषि भूमि के संबंध में विवाद न होने से प्रतिवादी क्र०-3 मध्यप्रदेश शसन भी कार्यवाही से मुक्त किये जाने योग्य है अतः उसे भी कार्यवाही से मुक्त किया जाता है। और आगे के वाद प्रश्नों में कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की कण्डिका-1 में दिया गया है, उसके संबंध में अब कोई निराकरण किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-9 को विलोपित किया जाता है। तथा वाद प्रश्न क्रमांक-1, 10 एवं 11 में शब्द कृषि भूमि को भी विलोपित किया जाता है तथा पूर्व निर्मित वाद प्रश्न क्रमांक-3, 5, 6, 8 को पूर्व में ही दिनांक 19.01.16 को विलोपित किया जा चुका है।

11. वादी इन्द्रपाल द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में दावा पूर्व दिया गया नोटिस धारा-80 सीपीसी और उसकी रजिस्ट्री की रसीद प्र०पी०-2 को पेश किया है और प्रतिवादी क्रमांक-4 एवं 5 को किये गये विक्रय पत्र प्र०पी०74 एवं 5 तथा प्र०पी०-7 का खसरा पंचशाला संवत् 2056 लगायत 2060 अर्थात् 1999-2000 लगायत 2002, 2003 जो कि कृषि भूमि से संबंधित हैं, को भी साक्ष्य में विश्लेषण में लिये जाने की आवश्यकता नहीं बची है और

दस्तावेजी साक्ष्य में प्र०पी०-3 का विक्रय पत्र जो प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को किया गया जिसकी मूल प्रति प्र०डी०-1 के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई है उसके तथा संबंधित खसरा वर्ष 2014-15 प्र०पी०-6 एवं कब्जे के संबंध में की गई शिकायत प्र०पी०-8 को ही साक्ष्य के विश्लेषण में विचार में लिये जाने की आवश्यकता शेष रह गई है।

12. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर एवं उक्त आवेदन पत्र का निराकरण हो जाने के पश्चात शेष विवाद के संबंध में निर्मित वाद प्रश्नों का विलोपित वाद प्रश्नों के हटाये जाने सेकम सुधारते हुए निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है। जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भवन वादी व प्रतिवादी क्र०-1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है?	अप्रमाणित
2	क्या वादग्रस्त भवन जिस सर्वे क्रमांक-1365 जिसका नया क्रमांक-504 कुल रकबा 6 विस्वा स्थित ग्राम खनैता का आधा भाग तीन विस्वा में से डेढ़ विस्वा पर निर्मित है, वह भूमि स्व० सुदामा एवं वादी इन्द्रपाल द्वारा पैतृक संपत्ति की आय से क्रय की गई थी?	अप्रमाणित
3	क्या विवादित भवन व उससे लगी डेढ़ विस्वा सड़क तरफ खुली भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादी का समान रूप से हिस्सा है, उसमें से प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय की दशा में वादी को अग्र क्रयाधिकार प्राप्त है?	अप्रमाणित
4	क्या प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 08.06.10 वादी के मुकाबले वैध एवं शून्य घोषित होने योग्य है?	नहीं
5	क्या वादी प्रतिवादी क्रमांक-1 से संपूर्ण मकानियत का बंटवारा करा पाने का अधिकारी है?	नहीं
6	क्या विक्रय पत्रों की आड़ में प्रतिवादीगण वादी के विवादित भवन के भाग पर उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? यदि हाँ तो प्रभाव-	अप्रमाणित

7	अन्य सहायता एवं वाद व्यय?	वादी का वाद खारिज किया
---	---------------------------	------------------------

—::— सकारण निष्कर्ष —::—

वाद प्रश्न क्रमांक-2 व 3 का निराकरण

13.

इस संबंध में वादी की ओर से वाद इन्द्रपालसिंह वा०सा०-1 इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह और प्रतिवादी क्र०-1 का पति सुदामा सगे भाई थे। उनका संयुक्त हिन्दू परिवार था। उनके बीच कभी बंटवारा नहीं हुआ और वह कर्ता खानदान था। उनका पूर्व में मकान जो महाराजसिंह, हाकिम, विद्याराम और शंभूसिंह के बगल में था, जिसमें वह शामिल शरीक रहते थे। उनकी कृषि भूमि भी शामिल होती थी। कभी बंटवारा नहीं हुआ है और शामिल भूमि की फसल बेचकर विवादित मकान सम्मिलित रूप से बनवाया था जिसकी जमीन उसने तथा सुदामा ने अपने चचेरे भाई बलवीर के साथ मिलकर वीरमन भदौरिया से खरीदी थी। इस तरह से वादी विवादित मकानियत संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति की आय से जमीन खरीदकर सम्मिलित रूप से सुदामा के साथ मिलकर निर्मित किया जाना बताता है जबकि इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें श्रीमती विनीता प्र०सा०-3 ने खण्डन करते हुए इस आशय की साक्ष्य दी है कि विवादित मकानियत पुश्तैनी संपत्ति नहीं है बल्कि उसकी स्वअर्जित संपत्ति है जो उसके पति द्वारा निर्मित किया है। उनका संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं रहा बल्कि सुदामा से विवाह होने के उपरान्त वह अलग हो गये थे। और तभी से अलग-अलग रह रहे हैं। सुदामा की मृत्यु के पश्चात उसका राजस्व कागजात में नामांतरण भी हुआ है जिसका समर्थन श्रीमती मंजू प्र०सा०-1, उसके पति रविन्द्रसिंह प्र०सा०-2 और प्र०पी०-3/डी-1 के अनुप्रमाणक साक्षी इन्द्रसिंह प्र०सा०-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

14.

इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि विवादित मकान की भूमि वादी इन्द्रपाल प्र०सा०-1 के पति सुदामा तथा बलवीरसिंह के द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा गया था। जिसमें तीन विस्वा बलवीर का है, उसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। तीन विस्वा उसका और सुदामा का शामिल होती है जो उन्होंने शामिल कृषि भूमि की आय से खरीदा था और उसमें कृषि भूमि की शामिल आय से भवन का निर्माण कराया गया था। विवादित मकानियत दक्षिण दिशा में डेढ़ विस्वा में निर्मित कराया गया है। शेष डेढ़ विस्वा उत्तर दिशा में खुली भूमि है। कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिये विवादित मकानियत

पर केवल प्रतिवादी क्रमांक-1 विनीता का न तो कोई हक था न ही एकांकी कब्जा था। इसलिये उक्त वाद प्रश्न क्र०-1 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह खण्डन तर्क आया है कि कृषि भूमि एवं मकानियत के संबंध में स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है उसका नामांतरण भी हुआ है। नामांतरण में कोई आपत्ति नहीं की गई है। और वादी द्वारा स्वामित्व स्वीकार किये जाने से ही वादी का वाद व्यर्थ हो जाता है। वादी के द्वारा अभिवचनाओं से अन्यथा साक्ष्य दी गई है तथा कोई संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं रहा है बल्कि सुदामा के जीवनकाल से ही इन्द्रपाल और सुदामा अलग अलग रहते थे और विवादित मकानियत सुदामा की निजी संपत्ति है और उसके द्वारा निजी आयु से निर्माण कराया गया इसलिये सुदामा की मृत्यु के बाद श्रीमती विनीता की वह स्वअर्जित संपत्ति हो जाती है। और उकसे संबंध में वादी को कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिये विवादित मकानियत कृषि भूमि की तरह ही पैतृक संपत्ति नहीं है और उक्त वाद प्रश्न वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जावे।

15. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य, दस्तावेजों एवं किये गये तर्कों पर चिंतन मनन किये जाने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादी द्वारा कृषि भूमि के संबंध में वाद का प्रत्याहरण कर लेने से उसके आधार को निर्बलता प्राप्त हो रही है। क्योंकि अभिलेख पर वादी की ओर से विवादित मकानियत वाली भूमि किये जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जबकि यह सुस्थापित सिविल प्रथा है कि सिविल वाद में प्रमाण भार हमेशा वादी पर ही होता है कि वह अपनी सामर्थ्य से अपने वाद को प्रमाणित करे वह प्रतिवादी की किसी दुर्बलता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **दूल्हे सिंह विरुद्ध जुझारसिंह 1995 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 170** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

16. वादी मूल वाद संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति बताते हुए विवादित मकानियत के संबंध में भी लेकर आया है। दूसरी ओर वह विवादित मकानियत पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-22 के अंतर्गत अग्र कयाधिकार के तहत भी सहायता चाहता है। और अग्र कयाधिकार की सहायता वही व्यक्ति मांग सकता है जो दूसरे पक्ष के स्वामित्व को स्वीकार करे। एक ओर तो वादी विवादित मकानियत को संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से प्राप्त संपत्ति बताता है तथा स्वयं का आधिपत्य भी बताता है, प्रतिवादी क्र०-1 के हक अधिकार व हित से इंकार करता है और दूसरी ओर प्रतिवादी क्रमांक-1 विनीता से अग्र

क्रयाधिकार भी चाहता है। जो दोनों आधार एकसाथ उस स्थिति में संभव नहीं है जबकि उसका कोई हक या हित, अधिकार के साथ संयुक्त आधिपत्य न हो।

17. विवादित मकानियत की भूमि जिस विक्रय पत्र के द्वारा वीरमन भदौरिया से क्रय किया जाना बताया गया है उससे संबंधित वयनामा ही प्रकरण में पेश नहीं किया गया है जिससे यह मूल्यांकित कर निश्चित किया जा सकता था कि विवादित मकानियत वाली भूमि किस रूप में खरीदी गई। वादी इन्द्रपाल वीरमन से खरीदी गई भूमि का वयनामा अपने पास होने से इन्कार कर बलवीर के पास होना पैरा-12 के अंत में बताता है जबकि बलवीर वा0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है। और उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में वीरमन भदौरिया से कराया गया वयनामा अपने पास होने से इन्कार कर इन्द्रपाल या विनीता के पास होने की संभावना प्रकट की है। ऐसे में वीरमन भदौरिया से बताये गये वयनामा का अभिलेख पर वादी की ओर से न तो स्वयं पेश किया जाना न ही किसी अन्य के कब्जे से प्रस्तुत कराये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की जाना उसके विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने को बल देता है कि वह वयनामा और दस्तावेज अवश्य ही वादी के विरुद्ध रहा होगा अन्यथा उसे पेश किया जाता या कराया जाता।

18. प्रकरण में वादी की ओर से इस आशय का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि विवादित मकानियत वाली भूमि का वयनामा किस प्रकार से संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति की आय से खरीदा गया था। कब खरीदा गया था, कितनी राशि में खरीदा गया था, किन शर्तों पर खरीदा गया था। ऐसे में वादी के इस बिन्दु पर कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है जो विवादित मकानियत को पैतृक संपत्ति होना इंगित करता हो बल्कि वा0सा0-1 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गई यह स्वीकारोक्ति कि वह शुरू से ही दुलारे से खरीदे गये मकान में निवास कर रहा है। दुलारे से खरीदी गई संपत्ति का कोई वयनामा या दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। जो यह स्पष्ट करता कि कब कैसे वह संपत्ति खरीदी गई। वादी की यह स्वीकारोक्ति कि पूर्व में जो उनका मकान महाराजसिंह, हाकिमसिंह, विद्याराम और शंभूसिंह के बगल में था जिसे उसने बेच दिया था और दुलारे से खरीदा था। कभी वह दुलारे से गौड़ा खरीदना बताता है, कभी मकान खरीदना बताता है कभी वह दुलारे से खरीदे गये गौड़ा में अपना मकान बनाना कहता है। उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य से यही प्रकट होता है कि वह विवादित मकानियत में निवारत नहीं रहा है। बल्कि स्व० सुदामा के जीवनकाल से ही वह दुलारे से खरीदे गये भाग में निवासरत है जिसमें उसका परिवार भी रहता था। उसका यह

कहना कि लड़के की शादी करने के बाद वह विवादित मकानियत में रहने आ गया था, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं है और उसके द्वारा की गई यह स्वीकारोक्ति कि वह फसल बेचकर पैसे ले लेता था और कर्ता खानदान था तथा शुरू से ही दुलारे के मकान में रह रहा है। उसके और सुदामा के एकसाथ रहने की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बलवीर वा०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में उसका खण्डन कर दिया है। ऐसी स्थिति में विवादित मकानियत वादी की प्रतिवादी क्र०-1 के साथ पैतृक अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होना कतई प्रमाणित नहीं होता है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि सुदामा की मृत्यु के बाद सुदामा के बाद उसकी एक मात्र वारिस उसकी विधवा पत्नी श्रीमती विनीता का नामांतरण हुआ था और विनीता का नामांतरण स्वयं इन्द्रपाल द्वारा कराया जाना कहा गया है अर्थात् उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। यदि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति होती तो फिर सुदामा की मृत्यु के बाद वादी इन्द्रपाल भी विनीता के साथ अपना नामांतरण कराने में पहल करता जबकि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और निर्विवादित रूप से विनीता सुदामा की अनुसूची क्रमांक-1 की वारिस है।

19. अभिलेख पर इस आशय की भी सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है कि जो यह स्पष्ट करे कि विवादित मकानियत वादी और सुदामा ने मिलकर संयुक्त रूप से निर्मित की हो। ऐसी स्थिति में वाद प्रश्न क्रमांक-1 को वादी प्रमाणित करने में असफल रहा है फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण वादी के विरुद्ध निर्णीत कर उन्हें अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2 व 3 का निराकरण

20. इस संबंध में इन्द्रपाल वा०सा०-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वह और प्रतिवादी क्रमांक-1 का पति स्व० सुदामासिंह का संयुक्त हिन्दू परिवार था। उनका कोई बंटवारा नहीं हुआ था तथा बंदोवस्त के पूर्व उसने सुदामा एवं उनके चचेरे भाई बलवीरसिंह ने अपनी संयुक्त पुश्तैनी कृषि भूमि के उपज से छः विस्वा भूमि खरीदी थी। जिसमें से तीन विस्वा बलवीरसिंह की व शेष तीन विस्वा उसकी और सुदामा की संयुक्त थी और वह शामिल शरीक स्नेह पूर्वक रहते थे। सुदामा की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 का नामांतरण उसने करा दिया था। उसके बाद प्रतिवादी क्रमांक-1 ने बिना किसी बंटवारा के तीन विस्वा भूमि में से डेढ़ विस्वा भूमि में निर्मित मकान को विक्रय करने का प्रयास किया था। जिस पर उसने यह कहा था कि यदि वह अपना भाग बेचे तो वह खरीद लेगा और जो पैसा कोई और देगा, उतने ही वह दे देगा।

परन्तु प्रतिवादी क्र०-1 अपना हिस्सा उसे देने को तैयार नहीं हुई। और उसने बिना अधिकार के संयुक्त मकान को दिनांक 08.06.11 को प्रतिवादी क्रमांक-2 को विक्रय कर दिया था। तथ अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्र०-2 ने पुलिस एण्डोरी के सहयोग से उसका मकान व शेष खुली भूमि पर दिनांक 28.03.11 को कब्जा कर लिया। विक्रय पत्र में गलत दिशाएं अंकित करते हुए वयनामा किया और तीन विस्वा भूमि के दक्षिण दिशा में संयुक्त मकान पर अधिकार विहीन कब्जा कर लिया। विक्रय पत्र की जो राशि प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा दी गई है उसे देने को तैयार है। इसलिये दिनांक 08.06.10 को किया गया विक्रय पत्र अवैधानिक एवं गलत होने से निरस्त किया जावे।

21. वादी इन्द्रपालसिंह वा०सा०-1 ने उपरोक्त वर्णित मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष के संबंध में प्रतिपरीक्षा में पैरा-6 में यह बताया है कि उसे विनीता ने चार पांच साल पहले मकान से निकाला था जिसकी वह तारीख, महीना व सन् नहीं बता सकता है। पैरा-7 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उनका पूर्व में मकान महाराजसिंह, हाकिम, विद्याराम और शंभूसिंह के बगल में था जो उसने बेच दिया था। उसने दुलारे का मकान नहीं खरीदा है उसका गौंडा खरीदा था जिसे खरीदे हुए सात आठ साल हो गये हैं। पैरा-7 में उसने विवादित मकान से फिर प्रतिवादी मंजू द्वारा मकान खरीदने के बाद निकालना बताया है और यह कहा है कि मकान शामिलाली बना था। उसमें उसका भी पैसा लगा है। फिर उसने यह भी कहा है कि मंजू द्वारा उसे विवादित मकान से निकाले जाने के बाद उसने दुलारे से खरीदे गये गौंडा में अपने परिवार के साथ निवास करना प्रारंभ किया जिसमें पशु भी बंधते हैं। पैरा-8 में फिर यह कहा है कि दुलारे से उसने खण्डहर मकान खरीदा था। उसके बाद उसने दो कमरे बना लिये हैं। पैरा-10 में उसने विवादित मकान के निर्माण के संबंध में यह बताया है कि उसने और सुदामा ने शामिलाली रूप से बनाया था। जिस पर करीब ढाई लाख रुपये खर्च आया था जो शामिलाली जमीन की फसल को बेचकर उसने और सुदामा ने बराबर लगाये थे। यह भी कहा है कि वह कर्ता खानदान था और फसल बेचकर पैसे ले लेता था। वह यह नहीं बता सकता कि उसने कितने रुपये विवादित मकान में लगाये थे। लेकिन आधा पैसा लगाना वह कहता है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्र०-1 विनीता ने मंजू को 68,000/-रुपये में विवादित मकान बेचा था और मंजू ने मकान खरीदने के एक साल बाद उसे घर से निकाल दिया था। ऐसा उसने पैरा-11 में बताते हुए यह भी कहा है कि मंजू आठ दस लोगों को लेकर आयी थी और उसका सामान बाहर फैंक दिया था उसे मारपीट कर भगाया था।

उस घटना को गांव वालों ने भी देखा किसीने मदद नहीं की थी, क्योंकि गांव वाले किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। घटना की उसने पुलिस को शिकायत भी की थी तो पुलिस ने भी कहा था कि मकान पर तुम्हारा हक नहीं है निकल जाओ। फिर वह दुलारे से लिये गये मकान में जाकर परिवार सहित रहने लगा है। पुलिस को की गई शिकायत की कॉपी उसके पास नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि इस वर्ष उसने कोई रिपोर्ट नहीं की।

22. वा0सा0-1 का पैरा-12 में यह भी साक्ष्य आया है कि सुदामा की मृत्यु के बाद विवादित मकान और जमीन पर विनीता का नामांतरण हुआ था। और उसमें उसने कोई आपत्ति नहीं की थी। इस बात से इन्कार किया है कि विवादित मकान केवल सुदामा का था और सुदामा के बाद विनीता का था जिसे सुदामा ने निजी आय से बनवाया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि वह हमेशा से ही दुलारे से खरीदे गये मकान में परिवार सहित निवास करता है। यह भी अंत में स्वीकार किया है कि उसने सुदामा और बलवीर ने वीरमन भदौरिया से वयनामा कराया था, वह प्रकरण में पेश नहीं किया है। विनीता को परेशान करने के उद्देश्य से दावा करने से भी उसने इन्कार किया है।

23. वादी साक्षी बलवीरसिंह वा0सा0-2 ने भी इन्द्रपालसिंह वा0सा0-1 की तरह ही उसका समर्थन करते हुए यह साक्ष्य दिया है कि इन्द्रपाल और सुदामा दोनों सगे भाई थे। उन्होंने उसके साथ मिलकर छः विस्वा भूमि खरीदी थी जिसमें इन्द्रपाल, सुदामा का बराबर हिस्सा था। जो छः विस्वा भूमि खरीदी थी। उसमें से तीन विस्वा उसकी है और तीन विस्वा में इन्द्रपाल और सुदामा का बराबर बराबर हिस्सा है। खरीदी गई भूमि में पूर्व तरफ उसका हिस्सा है और पश्चिम की तरफ इन्द्रपाल सुदामा का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में इन्द्रपाल वगैरा ने मकान बनाया था जिसे विनीता ने गलत तरीके से विक्रय कर दिया है। विनीता को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। और प्रतिवादी क्र०-2 मंजू ने विक्रय पत्र कराकर इन्द्रपाल के पूरे विस्वा में कब्जा कर लिया है। जबकि इन्द्रपाल मकान वाली जगह को खरीदने को आज भी तैयार है। इसलिये मंजू के हक में हुआ वयनामा निरस्ती योग्य है। साक्षी ने पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि इन्द्रपाल और सुदामा का पूर्व में मकान महाराजसिंह, हाकिम, विद्याराम, शंभूसिंह के पास का है जिसमें वे रहते थे। वह भी रहता था। जो मकान उन सभी ने बेच दिया है।

24. इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि करीब पन्द्रह साल पहले इन्द्रपाल ने दुलारे का मकान खरीदा था। जिस पर अभी से वह रह रहा है। उस मकान में सुदामा अभी

नहीं रहा। इन्द्रपाल के बच्चे बड़े हो जाने के बाद इन्द्रपाल और उसकी पत्नी विवादित मकान में रहने आ गये थे। दुलारे से जो गौंड़ा टाईप का मकान खरीदा था उसमें इन्द्रपाल का बड़ा लड़का और उसकी बहू रहते हैं और सुदामा वाले मकान में दो कमरे, एक बैठक, खाना बनाने की कच्ची मड़ैया और आंगन है। इन्द्रपाल के पास दो लड़के व दो लड़कियाँ हैं और शुरू से ही अपने सभी बच्चों के साथ रहता था। बड़े लड़के की शादी को तीन चार साल हुए हैं और विवादित मकान इन्द्रपाल के बड़े लड़के की शादी होने के पहले ही बन गया था। जिसमें शुरू में सुदामा और उसकी पत्नी और इन्द्रपाल का छोटा लड़का रहता था। जिसे सुदामा ने गोद लेना बताया था। पैरा-7 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि इन्द्रपाल दुलारे से खरीदे गये मकान में से अपना घर गृहस्थी का सामान लेकर विवादित मकान में रहने के लिये आ गया था। जो मकान बनने के छः महीने बाद आ गया था और उसे रहते साल दो साल हुए थे तब मंजू ने उसे निकाल दिया था। और निकाले हुए तीन चार साल हो गये हैं। यह भी स्वीकार किया है कि विनीता ने अपना हिस्सा बेचा है लेकिन मंजू ने पूरे तीन विस्वा पर कब्जा कर लिया है। अधिक भूमि पर कब्जा करने के संबंध में कोई पंचायत नहीं हुई। एक साल पहले एस0डी0ओ0पी0 को शिकायत की गई थी। जब मंजू ने इन्द्रपाल का सामान फैंक दिया था। जो सामान विनीता, मंजू और पुलिस से मिलकर साजिश करके फैंक दिया था। इन्द्रपाल के छोटे लड़के पप्पू को भी बंद करा दिया था और पुलिस ने उनका निवेदन नहीं सुना था। इस बात से इन्कार किया है कि विनीता के विधवा हो जाने पर हम उससे लड़के को गोद लेने की कहते थे। उसका यह भी कहना रहा है कि सुदामा और इन्द्रपाल ने उससे चौबीस हजार रुपये उधार लिये थे जो वापिस नहीं लौटाये हैं जिसके संबंध में उसने कोई कार्यवाही नहीं की। पैरा-11 में उसने यह स्वीकार किया है कि विवादित मकान में वर्तमान में मंजू निवासरत है। लेकिन उसका यह कहना है कि उत्तर दिशा की जमीन खरीदी गई थी और मकान दक्षिण में है जिस पर जबरन कब्जा कर लिया है। चचेरे भाई के नाते झूठा बयान देने से भी वह इन्कार करता है।

25. इस संबंध में प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य में श्रीमती विनीता प्र०सा०-3 ने इस आशय की साक्ष्य दी है कि विवादित संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति नहीं है बल्कि उसकी स्वअर्जित संपत्ति है क्योंकि उसे अपने पति की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है और उसका विधिवत नामांतरण हुआ है। तथा उसके पति सुदामा वादी के साथ शामिल शरीक नहीं रहते थे। तथा सम्मिलित हिन्दू परिवार नहीं था। बल्कि विवाह के बाद से वे अलग-अलग

रहते थे। इसी आशय की साक्ष्य का समर्थन श्रीमती मंजू प्र०सा०-1 और उसके पति रविन्द्रसिंह प्र०सा०-2 ने भी किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त बिन्दु पर कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। केवल इस आशय की स्वीकारोक्ति साक्षियों के कथनों में आई है कि प्रतिवादी क्र०-1 विनीता ने दिनांक 26.02.16 को प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने सुदामा की मृत्यु के बाद किशोर तोमर से पुनर्विवाह कर लिया है। जो पुनर्विवाह करीब एक साल पहले कर लेना साक्ष्य में आया है। किन्तु पुनर्विवाह के आधार पर श्रीमती विनीता को अपने पूर्व पति सुदामा की मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता है क्योंकि उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को जो वयनामा किया गया है, उस समय वह विधवा थी और सुदामा की एकमात्र वारिस थी।

26. इस बिन्दु के प्रमाण का भार वादी पर ही था कि वह यह प्रमाणित करे कि पूर्व सर्वे क्रमांक-1365 जिसका नवीन क्रमांक-594 रकवा 6 विस्वा स्थित ग्राम खनैता में से तीन विस्वा पर वह और सुदामा समान रूप से स्वामी थे तथा वह उनके द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार रहते हुए पैतृक संपत्ति की आय से क्रय किया गया था, यह वीरमन भदौरिया से के कराये गये वयनामा के प्रस्तुत करने से स्पष्ट किया जा सकता था, कि उसमें दिये गये विवरण में किन शर्तों का उल्लेख है। व किस हैसियत से खरीदा गया। जबकि वादी अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल है कि उसने सुदामा के साथ मिलकर बलवीर को शामिल रखते हुए वयनामा किस प्रकार कराया है? कितने रूपये में कराया है? और उसकी राशि किस प्रकार से संकलित हुई। बल्कि वादी इन्द्रपाल वा०सा०-1 के द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य से तो यही प्रकट हो रहा है कि वह और सुदामा अलग-अलग ही रहते थे। इसलिये उनके सगे भाई होने के कारण संयुक्त हिन्दू परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है न ही इस संबंध में वादी द्वारा बताये गये विक्रेता वीरमन भदौरिया को साक्ष्य में पेश किया गया है जो प्रतिफल राशि के संबंध में और क्रेताओं से तय हुई शर्तों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकता था या बताये गये विक्रय के अनुप्रमाणक साक्षी होने से किसी को पेश किया जा सकता था जबकि ऐसा वादी की ओर से नहीं किया गया। इन्द्रपाल और उसके साक्षी बलवीर, वीरमन भदौरिया के वयनामा के संबंध में एकदूसरे पर भार डालते हैं। जिससे वादी के आधारों को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। इस बिन्दु पर अभिवचनों और साक्ष्य में भी विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है क्योंकि वादी द्वारा ऐसे भी अभिवचन स्पष्ट रूप से नहीं किये गये हैं कि वयनामा जिसके द्वारा छः विस्वा भूमि खरीदी गई वह वीरमन भदौरिया से

खरीदी गई थी। किसके सामने कब किन शर्तों के साथ खरीदी गई, इस बारे में भी अभिवचन स्पष्ट नहीं हैं।

27. यदि वादी की साक्ष्य पर गौर किया जाये तो वह यह भी कहकर आया है कि भाई ने बयनामा प्रदर्श पी.-3/प्रदर्श डी.-1 की आड़ में पूरे तीन विस्वा पर कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसे अभिवचन नहीं हैं और बगैर अभिवचन के प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है तथा इस प्रकृति का दावा ही नहीं किया गया है और बताये गये वीरमन भदौरिया के बयनामा के पेश न होने व अन्य कोई प्रमाण न होने से इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है कि मंजू ने कयशुदा से अधिक भूमि पर आधिपत्य कर रखा है, जिसके संबंध में वादी विधिक रूप से यदि पात्र मानता है तो वैधानिक कार्यवाही कर सकता था, जो नहीं की गयी।
28. विधिक स्थिति को देखा जाये तो यह सुस्थापित विधि है कि सिविल मामले में अभिवचन से बाहर जाकर अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम०पी० विरुद्ध बाबूलाल 2006 भाग-2 एम०पी०जे०आर० पेज-32** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। यह भी सुस्थापित विधि है कि अभिवचन सबूत का स्थान नहीं ले सकते हैं उसे साक्ष्य से ही प्रमाणित करना होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **मूलचन्द्र विरुद्ध राधाशरण एवं अन्य 2006 भाग-2 एम०पी०जे०आर० पेज-600** में मार्गदर्शित किया गया है। यह भी सुस्थापित विधि है कि जहाँ अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभासी हो तो ऐसी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होती है। हस्तगत मामले में इस प्रकार की स्थिति है कि वादी के अभिवचन कुछ हैं और साक्ष्य कुछ है और आधार भी परस्पर विरोधाभासी हैं जिससे वादी के वाद आधारों को विधिक रूप से कोई बल प्राप्त नहीं होता है और अभिलेख पर यह प्रमाणित करने के लिये कोई भी विधिक साक्ष्य नहीं है कि विवादित भवन वाला भू-भाग वादी इन्द्रपाल और उसके स्व० भाई सुदामा ने संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति की आय से कय किया था इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-2 प्रमाणित न होने से वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।
29. जहाँ तक अग्र कयाधिकार का प्रश्न है, एक ओर तो वादी विवादित मकानियत पर स्वयं का स्वामित्व और आधिपत्य बताते हुए स्व० सुदामा का विवादित मकान पर किसी प्रकार के कब्जे से इन्कार कर सुदामा का अपनी पत्नी प्रतिवादी क्र०-1 के साथ वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में उत्तर दिशा की ओर बताये गये भू-भाग एवं तर्कों में

प्र०डी०-1/प्र०पी०-3 के वयनामा के पृष्ठ क्रमांक-3 पर जो संपत्ति विनीता द्वारा श्रीमती मंजू को विक्रय की गई उसमें उत्तर दिशा की ओर से प्रस्तुत कमरा और उससे लगी हुई जगह पर ही उपयोग उपभोग कहकर आया है। दूसरी ओर विवादित मकानियत जो कि दक्षिणा दिशा में है और डेढ विस्वा में निर्मित बताई गई है उसके संबंध में विक्रय की दशा में अग्र क्रयाधिकार की मांग भी सहस्वामी के आधार पर की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी स्वयं में ही स्थिर नहीं है ऐसे में उसकी साक्ष्य विधिक रूप से निर्बल है।

30. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-22 के उपबंध मुताबिक— **कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार—**

1— जहाँ कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसीयत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किये जाने वाले किसी कारबार में के हित अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिसों को न्यागत हो, और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे वहाँ ऐसे अंतरित किये जाने के लिये प्रतिस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा।

2— मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिये इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किये गये आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायेगा और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिये राजी न हो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के, या उससे आनुषंगिक सब खर्चों का देने का दायी होगा।

3— यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट हों या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान माना जावेगा जो अंतरण के लिये अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करें।

स्पष्टीकरण:— इस धारा में 'न्यायालय' से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति आस्थित है या कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

31. उपरोक्त उपबंध की मंशा से भी यह स्पष्ट होता है कि अग्र क्रयाधिकार तभी उत्पन्न होगा जब संपत्ति के प्रथम वर्ग के वारिस दो या दो से अधिक हों और उनमें से कोई अंतरण की प्रस्थापना करे। जबकि हस्तगत मामले में तो सुदामा की एकमात्र वारिस उसकी

पत्नी श्रीमती विनीता थी। विनीता के द्वारा मंजू को विक्रय करते समय वादी की ओर से आपत्ति नहीं हुई न ही वादी के द्वारा कभी विनीता को संपत्ति क़य करने के संबंध में कोई प्रस्ताव दिया था इसलिये वादी का यह कहना कि वह विवादित संपत्ति की वह राशि जो प्रतिवादी क्र०-2 के द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 को अदा की गई वह अदा करने को तत्पर व तैयार था और है, उसे वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी को विवादित संपत्ति के संबंध में अग्र क़याधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है। और वाद प्रश्न क्रमांक-3 भी उसके विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

32. इस संबंध में भी प्रमाण भार वादी पर है। वादी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत की गई साक्ष्य में प्रश्नगत विक्रय पत्र प्र०पी०-3 के रूप में उसकी सत्य प्रतिलिपि को पेश किया गया है। जिसकी मूल प्रति प्र०डी०-1 के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई है और मौखिक साक्ष्य में वादी इन्द्रपाल वा०सा०-1 के द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 को दिनांक 08.06.10 को किया गया विक्रय पत्र अवैध है। क्योंकि जब प्रतिवादी क्र०-1 विवादित भवन को विक्रय करने को प्रयत्नशील हुई तब उसने यह कहा था कि वह मकान में उसका हिस्सा अर्थात् विनीता का हिस्सा खरीद लेगा और कोई जो पैसे देगा वह उसे दे देगा। परन्तु प्रतिवादी उसे देने को तैयार नहीं हुई। और बिना अधिकार के संयुक्त मकान को विक्रय कर दिया है। इसलिये वह अवैध है। इसी आशय की साक्ष्य वादी साक्षी बलवीर वा०सा०-2 ने भी मुख्य परीक्षण में दी है। दोनों की साक्ष्य में यह भी स्पष्ट आया है कि मकान में इन्द्रपाल नहीं रहा है। बल्कि इन्द्रपाल दुलारे से खरीदे मकान में ही अपने परिवार के साथ सुदामा के जीवनकाल में निवास कर रहा है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें श्रीमती विनीता प्र०सा०-3 ने प्रतिवादी क्र०-2 को वैधानिक आवश्यकता होने से अपने पति को प्राप्त हुई स्वअर्जित संपत्ति का विधिवत दिनांक 06.08.10 को पूर्ण प्रतिफल 68000/-रुपये प्राप्त करके उसके हक में वयनामा कराना और आधिपत्य सौंपा जाना बताया है तथा वादी के उपयोग व उपभोग से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है और उसका दुलारेसिंह से खरीदे गये मकान में ही परिवार सहित निवासरत होना बताया है। उसने यह अवश्य स्वीकार किया है कि लिखित बंटवारा पुश्तैनी संपत्ति का नहीं हुआ था। घरू बंटवारा हुआ था। जिसमें विवादित मकान उसके पति को और दुलारे वाला मकान वादी को मिला। श्रीमती मंजू प्र०सा०-1 ने प्र०डी०-1 का विधिवत

बंटवारा कराना बताया है और अपना आधिपत्य बताते हुए उस पर वर्तमान में निवासरत होना भी कहा है जिसका समर्थन उसके पति रवीन्द्रसिंह प्र०सा०-2 एवं विक्रय पत्र के अनुप्रमाणक साक्षी इन्द्रसिंह प्र०सा०-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

33. मंजू प्र०सा०-1 ने पैरा-9 में यह अवश्य स्वीकार किया है कि प्र०डी०-1 के विक्रय पत्र के पेज नंबर-3 पर भू-अधिकार ऋणपुस्तिका के क्रमांक के नीचे और स्वयं के भाग के आगे काटपीट है और उसके संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि उस पर किसी के लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे विक्रय पत्र के बारे में संदेह उत्पन्न होता है। सी से सी भाग में ही काटपीट है जिसे भी प्र०सा०-1 ने पैरा-12 में स्वीकार किया है जिसे यह जानकारी नहीं है कि वह काटपीट पंजीयन के पूर्व की है या बाद की है। किन्तु उसके आधार पर विक्रयपत्र प्रदर्श पी.-3/डी.-1 में संदेह नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त काटपीट वादी की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये विक्रय पत्र दिनांक 08.06.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.-3 में भी है। इसलिये यह स्पष्ट होता है कि उक्त काटपीट पंजीयन के पूर्व की है। यदि पंजीयन के पश्चात की होती तो फिर प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-3 में काफी काटपीट नहीं होती और अन्य वाद प्रश्नों के विश्लेषण में यह माना जा चुका है कि वादी उक्त विवादित मकान वाली संपत्ति में न तो अग्र क्रयाधिकार रखता है न ही संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति की आय से वह क्रय शुदा संपत्ति होना दर्शित है। इसलिये प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.06.10 प्र०पी०-3/डी०-1 विधिक रीति से निष्पादित होकर, विनीता द्वारा उसे विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकारथा। और अग्र क्रयाधिकार के आधार पर वादी उसे अपने मुकाबले व्यर्थ और प्रभावशून्य घोषित कराने की पात्रता नहीं रखता है। क्योंकि उसके अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे में उसके द्वारा दी गई साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गणेश विरुद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-193** अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभाषी हो तो ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और संयुक्त रूप से क्रय बताये गये वयनामा के प्रस्तुत न होने से वादी के विरुद्ध ही प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है जैसा कि उपर भी उल्लेखित किया जा चुका है। इसलिये उक्त वाद प्रश्न भी वादी प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-4 भी वादी के विरुद्ध निर्णीत कर

अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-6 का निराकरण

34. इस संबंध में वादी इन्द्रपालसिंह वा०सा०-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि विवादित मकान संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति की आय से निर्मित है। जिस में उसका भी आधा रूपया लगा हुआ है और कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जमीन का भी बंटवारा नहीं हुआ है। तथा वह उसमें रहता था किन्तु प्रतिवादी क्र०-1 के द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 को किये गये वयनामा के बाद प्रतिवादी क्र०-1 ने उसे बलपूर्वक मकान से निकाल दिया। उसका सामान फैंक दिया और मारपीट की थी जिसकी पुलिस में भी शिकायत की गई थी किन्तु पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। और उसे निकल जाने को कहा था लेकिन उसके पास शिकायत की कोई प्रति नहीं है। उसके साक्षी बलवीर वा०सा०-2 ने भी ऐसा ही बताते हुए यह कहा है कि इन्द्रपाल अपने बड़े लड़के की शादी करने के बाद से विवादित मकान में ही पत्नी के साथ रहता था और जब इन्द्रपाल का सामान फैंका गया था तब उसने देखा था। उस समय वह रिपोर्ट को नहीं गया था। क्योंकि मंजू विनीता ने पुलिस से मिलकर साजिश करके उसे व छोटे लड़के पप्पू को बंद करा दिया था। फिर वह विधायक का फोन पर छूटे थे। जबकि ऐसा वादी स्वयं नहीं कहता है। वह घटना कब की है ऐसी भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। वयनामा के एक साल बाद की वादी घटना अपने कथन के पैरा-11 मुताबिक बताता है। जबकि अभिलेख जो पुलिस शिकायत का मसौदा वादी द्वारा पेश किया गया है वह प्र०पी०-8 के रूप में पेश किया गया है। जो शिकायत एसडीओपी गोहद को दिनांक 16.03.15 को की गई है और उसमें घटना दिनांक 07.03.15 की बताई है इससे ही वादी की साक्ष्य स्वमेव असत्य हो जाती है और उपर किये गये विश्लेषण मुताबिक तो वादी का विवादित मकान के आधिपत्य में रहना ही नहीं पाया गया है इसलिये जो वाद कारण वादी उल्लेख कर आया है वह भी सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं होता है। इसलिये वादी की विवादित मकान से बेदखल करना और बलपूर्वक कब्जा करने की जो साक्ष्य दी गई है वह भी स्वीकार योग्य नहीं रह जाती है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत चारों साक्षियों प्र.सा.-1 लगायत प्र.सा.-4 ने विवादित मकानियत में वादी के आधिपत्य में होने से ही इन्कार किया है। बेदखल करने की घटना भी उत्पन्न होने से इन्कार किया है। जो वादी की ही साक्ष्य से स्पष्ट होती है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि विक्रय पत्र की आड़ में प्रतिवादीगण वादी को विवादित भवन के भाग पर उसके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते थे और उसे बेदखल

कर दिया गया है। इस बिन्दु पर भी वादी के अभिवचन व साक्ष्य विसंगतिपूर्ण होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

35. जहाँ तक वादी द्वारा कोई विधिवत बंटवारा न होने का बिन्दु उठाया गया है, वह भी उसे कोई लाभ इसलिये नहीं पहुँचाता है क्योंकि प्रतिवादी क्र०-1 विनीता जो प्र०सा०-3 के रूप में परीक्षित हुई है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके स्व० पति सुदामा के जीवन काल में ही वह अलग-अलग उसकी शादी के बाद हो गये थे। और ६ रू तौर पर पुश्तैनी जायदात का बंटवारा हो गया था। इस साक्ष्य को परिस्थितियों। भी बल प्रदान करती हैं। क्योंकि कृषि भूमि के संबंध में वादी ने वाद का प्रत्याहरण किया है तथा कृषि भूमि पर सुदामा के स्थान पर प्रतिवादी क्र०-1 के हुए नामांतरण से भी उक्त स्थिति स्पष्ट होती है। हालांकि अभिलेख पर नामांतरण का प्रमाण प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है किन्तु नामांतरण के बिन्दु को स्वयं वादी ने स्वीकार किया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-58 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्रीमती विनीता के नाम का नामांतरण का प्रमाण पेश न होने का प्रतिकूल प्रभाव प्रतिवादी पक्ष पर पड़ेगा। यदि वादी की स्वीकृति नहीं होती तब उस बिन्दु पर देखा जा सकता था और वैसे भी केवल नामांतरण हक का आधार नहीं होता है तथा वादी स्वयं सुदामा की एकमात्र वारिस उसकी विधवा पत्नी प्रतिवादी क्र०-1 विनीता को स्वीकार करते हुए प्रकरण में आया है।

36. पारिवारिक व्यवस्थापन भी समझौते की तरह ही मान्य होता है जिस संबंध में न्याय दृष्टांत रैना वि० चेताराम 1993 भाग-2 एम.पी.डब्ल्यू.एन.-33 में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। इसलिये बंटवारे के बिन्दु का कोई भी लाभ वादी को प्राप्त नहीं हो सकता है और वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि उसका कोई कब्जा रहा है और उसके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की गई या विवादित मकान से बलपूर्वक बेदखल किया गया है इसलिये उसके संबंध में चाही गई निषेधाज्ञा की प्रार्थना भी वह प्राप्त करने का पात्र नहीं है फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-6 भी वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण

37. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी इन्द्रपाल वा०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि सुदामा के स्थान पर विनीता का नामांतरण हो चुका है परन्तु कोई बंटवारा नहीं

हुआ है और विनीता प्र०सा०-3 ने इस संबंध में पैरा-5 में यह कहा है कि उसके ससुर सरनामसिंह के पास दो मकान थे जिनमें से एक विवादित मकान उसे दिया गया था जिसकी जमीन किसी से खरीदी गई थी या नहीं खरीदी गई थी, यह उसे पता नहीं है और उसके कागजात उसने देखे नहीं हैं न ही पटवारी से लिये हैं। विवादित मकान में उसके हिस्से की कितनी जगह थी यह भी उसने नहीं देखी न ही उसका कागजात देखे। ऐसा पैरा-6 में उसने स्वीकार किया है तथा कहा है कि जो कि जगह उसके पति के नाम थी, उसने पति की मृत्यु के बाद वारिस की हैसियत से उसे मंजू को विक्रय की है। पैरा-7 में उसने यह भी कहा है कि उसके ससुर पर दो मकान थे। एक इन्द्रपाल को दिया गया था जो वह दुलारे से खरीदा हुआ बताता है और दूसरा मकान जिसमें एक कमरा बना था वह उसके पति को मिला था। उसके पति मेहनत मजदूरी करके उसमें दो कमरे, किचिन, लेट्रिन वाथरूम बनवाये थे। उसकी बाउण्ड्री बॉल नहीं है दुलारे से जो मकान खरीदा गया उसकी बाउण्ड्री बॉल बनी है। पैरा-8 में उसने यह भी कहा है कि उसके ससुर से उसके पति सुदामा को जो एक कमरा बना हुआ हिस्से में मिला था उसकी रजिस्ट्री उसने देखी थी। जो उसके पति सुदामा के नाम से थी। जिसे इन्द्रपाल ने उस समय चुरा लिया था जब वह मायके गई थी। पैरा-9 में उसने यह भी कहा है कि वादी इन्द्रपाल पर जो दुलारे वाला मकान है, वह भी विवादित मकान जितना ही बड़ा बना हुआ है बल्कि उसमें जगह उससे ज्यादा है। सुदामा और इन्द्रपाल के सम्मिलित रूप से रहने, सम्मिलित रूप से खेती करने और खेती की आय से खरीदे जाने को इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसके पति खेती के अलावा दूध का भी धंधा करते थे। पैरा-10 में उसने घरू बंटवारा बताया है लिखित बंटवारा नहीं होना स्वीकार किया है।

38. विनीता (प्रतिवादी साक्षी क्र०-3) के अभिसाक्ष्य में ससुर के दो मकान होने, एक वादी को, दूसरा उसके पति को प्राप्त होने व एक कमरे वाला मकान उसके पति के हिस्से में आना स्वीकार किया है, किन्तु साथ ही वह वादी को प्राप्त होने वाला मकान बार-बार दुलारे से खरीदा होना बताकर वही वादी को प्राप्त होना कहती है। ऐसी स्वीकारोक्ति नहीं आई है कि जो मकान उसने प्रतिवादी क्र०-1 मंजू को विक्रय किया है वह अलग है। ऐसा भी नहीं है कि विवादित मकानियत व दुलारे से कयशुदा मकान लगे हुए हों, बल्कि वे दूरी पर हैं। इसलिये प्रतिवादी साक्षी क्र०-3 की स्वीकारोक्ति वादी के आधार को बल प्रदान नहीं करती है और उसका वादी को लाभ नहीं मिल सकता है।

39. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का उपरोक्त वर्णित वाद

प्रश्नों के विश्लेषण में जो मूल्यांकन किया गया है उससे विवादित मकानियत पर वादी के स्वामित्व का खण्डन होता है न ही उसका आधिपत्य पाया गया है न ही वह पैतृक संपत्ति की आय से खरीदी गई संपत्ति की श्रेणी में पाया गया है। इसलिये विवादित मकानियत के संबंध में वादी वर्तमान वाद के माध्यम से बंटवारा कराने का कोई पात्र नहीं रह जाता है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि वादी दुलारे से खरीदे गये मकान में रह रहा है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 भी वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-6 का निराकरण

40. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर वादी अपने वाद-आधारों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्तिकी आय से विवादित मकान वाली जगह खरीदी जाना, और फिर उसका स्व० सुदामा के साथ मिलकर शामिल रूप से प्राप्त राशि खर्च करते हुए, भवन निर्मित किया जाना और इस कारण उसे अग्र कयाधिकार प्राप्त होना प्रमाणित करने में वह असफल रहा है जिसकी वजह से प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 को प्र०पी०-3/डी०-1 का वयनामा शून्य नहीं पाया गया है, न ही वादी का कब्जा व निस्तार पाया गया है, इसलिये वादी न तो बंटवारा करा पाने का अधिकारी है न ही किसी प्रकार की घोषणा या स्थाई निषेधाज्ञा विवादित मकानियत के संबंध में पाने का पात्र है इसलिये वादी का वाद विवादित मकानियत जिसका विवरण प्र०डी०-1/प्र०पी०-23 में है उसके संबंध में कोई सहायता पाने का पात्र नहीं है। फलतः विवादित मकानियत के संबंध में वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से सब्य निरस्त किया जाता है।

41. वादी अपने वादव्यय के साथ साथ प्रतिवादीगण का वादव्यय भी वहन करेगा जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने से सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम हो वादव्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे।

दिनांक- 09 मार्च 2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)